पत्रांक–26/नि०–01–01/2020 (खण्ड–II) सा0प्र0 ..../

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

मो0 सिराजुद्दीन अंसारी,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पटना।

पटना, दिनांक–....../......./2024

विषयः– **बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली, 2014 (यथासंशोधित) के आलोक में अंतिम मेधा सूची के आधार पर सुश्री गुड़िया कुमारी, रग्बी फुटबॉल खेल विधा की खिलाडी का निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली, 2014 (यथासंशोधित) के आलोक में दिनांक–29.08.2020 को उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के फलस्वरूप प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर रग्बी फुटबॉल खेल विधा के योग्य अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु अनुशंसा की जाती है।

2. उक्त नियमवाली के नियम–4(xii) में प्रदत्त शक्तियों के तहत अंतिम मेधा सूची में शामिल निम्नलिखित अभ्यर्थी को क्षेत्रीय लिपिकीय सेवा संवर्ग के निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर वेतनमान ₹5200- ₹20200, ग्रेड पे ₹1900/– (वेतनस्तर–2) में तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ नियुक्ति हेतु उनके नाम के सामने स्तम्भ–VII में अंकित विभाग/कार्यालय आवंटित किया जाता है :–

क्रम सं0	फॉर्म संख्या/ खेल विधा का नाम	नाम/ जन्म तिथि	पिता/पति का नाम/स्थाई/ वर्तमान पता	शैक्षणिक योग्यता/ कोटि	पद का नाम	नियुक्ति हेतु आवंटित विभाग/ कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1.	537/ रग्बी फुटबॉल	सुश्री गुड़िया कुमारी 08.02.2002	श्री अशोक कुमार, ग्रा0–भुढ़नीचक मिल्की, पो0+था0–बाढ़, जिला–पटना, पिन–803214	इंटरमीडिएट / सामान्य	निम्नवर्गीय लिपिक (क्षेत्रीय लिपिकीय सेवा संवर्ग)	पटना समाहरणालय, पटना	–

कृ0पृ0उ0

E:\Shree 2021\counsellingReport2.8.24\Karyaliy Avantan 2024.docx

3. उक्त अभ्यर्थी के मूल आवेदन तथा सभी शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/खेल प्रमाण पत्र इत्यादि संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं। जहाँ तक संबंधित अभ्यर्थी के आरक्षित/गैर आरक्षित कोटि का प्रश्न है, इस संबंध में जाँचोपरांत नियमानुसार उनकी कोटि निर्धारित की गई है।

4. चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में अगले छः माह के लिए उपर्युक्त नियुक्ति औपबंधिक रूप से की जायेगी। चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन नियुक्ति प्राधिकार द्वारा अनिवार्य रूप से करा लिया जाय।

5. अभ्यर्थी द्वारा समर्पित खेल प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित राष्ट्रीय खेल महासंघ से करा लिया गया है, किन्तु फिर भी यदि भविष्य में खेल प्रमाण पत्रों में कोई त्रुटि पाई जाती है अथवा अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई सूचना गलत/मिथ्या पाई जाती है, तो संबंधित अनुशंसित अभ्यर्थी के खिलाफ उनके द्वारा समर्पित शपथ–पत्र के आधार पर अनुशासनिक/प्रशासनिक कार्रवाई की जायेगी। सुलभ प्रसंग हेतु खेल प्रमाण पत्रों का सत्यापन प्रतिवेदन की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न है। शेष प्रमाण पत्रों यथा–शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों के संबंधित बोर्ड/संस्था (जारीकर्त्ता) से सत्यापन नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निर्धारित अवधि में अनिवार्य रूप से करा लिया जायेगा।

6. प्रमाण पत्रों के सत्यापन अथवा चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है, तो संबंधित नवनियुक्त कर्मी की सेवा तत्कालिक प्रभाव से रद्द कर दी जायेगी एवं उनके विरूद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई उनके द्वारा समर्पित शपथ पत्र के आधार पर की जायेगी। किसी तरह की विसंगति की स्थिति में इस विभाग को अवगत कराना अनिवार्य होगा।

7. विभागीय संकल्प संख्या–2082 दिनांक–01.04.2003 एवं पत्र संख्या–1859 दिनांक–08.07.2006 में निहित प्रावधानों के अनुपालन के उपरांत ही पदस्थापन कार्यालय द्वारा नियुक्त कर्मी के वेतनादि का भुगतान किया जायेगा।

8. अनुशंसित उम्मीदवार द्वारा पदस्थापन विभाग/कार्यालय में नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र के आलोक में दिये गये योगदान की तिथि से वेतन एवं अन्य अनुमान्य भत्ते देय होंगे।

9. बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली, 2014 (यथासंशोधित) के आलोक में चयनित खिलाड़ी का बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। नियुक्ति प्राधिकार द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थी से संबंधित स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र का सत्यापन अनिवार्य रूप से कर लिया जायेगा।

10. अभ्यर्थी को यह निदेश दिया जाता है कि नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र में अंकित तिथि से आगामी 15 (पंद्रह) दिनों के अंदर वे अपना योगदान संबंधित विभाग/कार्यालय को निश्चित रूप से समर्पित कर देंगे। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने अथवा योगदान अवधि के विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन नहीं समर्पित करने की स्थिति में उनकी वर्तमान अनुशंसा रद्द करने पर नियमानुसार विचार किया जायेगा।

11. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/–

(मो0 सिराजुद्दीन अंसारी)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–26/नि०–01–01/2020 (खण्ड–II)सा0प्र0 ..../पटना–15,दिनांक– ....../....../**2024**

निबंधित प्रतिलिपि– संबंधित अभ्यर्थी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

16806 **सरकार के अवर सचिव।**

ज्ञापांक–26/नि०–01–01/2020 (खण्ड–II)सा0प्र0 ..../पटना–15,दिनांक–17/10/**2024**

प्रतिलिपि– आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

17/10/24

सरकार के अवर सचिव।

E:\Shree 2021\CounselingReport2.3.2~\Karyaliy Abantan 23.doc